न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 26/2018 दायरा दिनांक : 12.02.2018

उनवान

1— बृजमोहन आत्मज भैरूलाल, जाति चमार, निवासी गोलाना, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2— ज्योतिबाई पुत्री राधेश्याम, पत्नी राजू, जाति रेगर, निवासी सलावद, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

3— लेखराज आत्मज भैरूलाल, जाति चमार, निवासी गोलाना, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

4— श्योजी आत्मज भैरूलाल, जाति चमार, निवासी गोलाना, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

5— धूलीबाई पुत्री भैरूलाल, जाति चमार, निवासी गोलाना, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

6— पारवती बाई बेवा भैरूलाल, जाति चमार, निवासी गोलाना, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— छीतरलाल आत्मज कन्हैया लाल, जाति तेली, निवासी गोलाना, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील खानपुर

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री रामबाबू मालव अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ए के जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 30.07.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 415/2011 निर्णय दिनांक 22.07.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने प्रतिवादी अपीलांट के विरूद्ध एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम गोलाना, तहसील खानपुर का खाता संख्या नया 118 पुराना 117 के खसरा नम्बर 596 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा स्थित है जो वादी के खाते दर्ज है । ग्राम गोलाना तहसील खानपुर खाता संख्या नया 288 पुराना 271 के खसरा नम्बर 597 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा आराजी स्थित है यह आराजी प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 3 व मृतक जगन्नाथ के खाते दर्ज है । प्रतिवादी 2 व 3 फौत हुु चके हैं उनके वारिसान को उनके स्थान पर पक्षकार बनाया गया है । वाद की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 596 का साबिक खसरा नम्बर 3100/860/7117 था जिसका रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा दर्ज है । सैटलमेंट के समय सैटलमेंट अधिकारियों ने सहवन से राजस्व रेकार्ड में त्रुटि कर 10 बीघा 2 बिस्वा में से 2 बीघा 10 बिस्वा आराजी कम कर दी । जबकि वास्तविकता यह है कि वादी वर्तमान में भी 10 बीघा 2 बिस्वा आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वाद की मद नम्बर 2 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 596 का साबिक खसरा नम्बर 3099/860/7117 था जिसका साबिक रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा था सैटलमेंट के समय सैटलमेंट अधिकारियों ने सहवन से रेकार्ड में इन्द्राज करते समय त्रुटि कर 10 बीघा 6 बिस्वा में 2 बीघा 4 बिस्वा बढ़ा कर 12 बीघा 10 बिस्वा दर्ज कर दी । इस

प्रकार प्रतिवादीगण 1, 2, 3 के खाते में 2 बीघा 4 बिस्वा आराजी ज्यादा दर्ज कर दी गई है । वादी ने दिनांक 15.07.2010 को प्रतिवादी 4 राजस्थान राज्य को रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से नोटिस जेर दफा 80 सी पी सी देकर इन्द्राज दुरूस्ती करने का निवेदन किया था । यह नोटिस प्रतिवादी 4 को मिलने के बाद भी उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया और आराजी रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती नहीं की । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय व डिक्री विधि एवं पत्रावली के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को समुचित सुनवायी व जवाबदेही का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री लोक अदालत में पारित किया गया है जबकि लोक अदालत में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में दोनों की समझाईश व सहमति के आधार पर ही प्रकरण या वाद का निस्तारण किया जा सकता है । अपीलांट अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं जिनको बिना सुनवायी व जवाबदेही का अवसर प्रदान किये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके खाते से भूमि कम कर रेस्पोडेंट नम्बर 1 के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये हैं, जो विधि विरूद्ध है क्योंकि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को किसी भी सवर्ण जाति के व्यक्ति के खाते दर्ज नहीं किया जा सकता है, जो निरस्तनीय है । अपीलांटगण खसरा नम्बर 597 का रेकार्डेड खातेदार है और रेकार्डेड खातेदार को बिना सुने किसी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया जा सकता । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22.07.2015 निरस्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । हम अपीलांट से सहमत हैं । पत्रावली न्याय सिद्धांतों के प्रावधानों का पालना नहीं की गई । अतः अपील स्वीकार किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.07.2015 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार रिपोर्ट को रेकार्ड पर लेकर अधिकतम 2 माह में प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.11.2019 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा